

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

तात्पुरता एवं जलवायन कूलसंचयन विभागी
में अधिकारीकरण में लगा हो दी जिम्मा लगे न
हो जिसमें आज विविधताएँ के नाम हैं।
विभागीकरण द्वारा यहाँ में प्रद
त्तमाद्वय के लाभ प्रदान कर दिया जाता है।



माम : जीवाजी
दृष्टिकोण : 0691-(0751) 244286
(कृष्णगढ़)
2442462 (भिल)

फोन : 0691 0751-2247768
E-mail : jivrg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jivaji.edu/>

प्रकाश :
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बन्धिता/2012/ ५४३२

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका द्वारा
विभागीकरण 07 अगस्त, 2012 के पद तात्पात्रक (02) के विषयानुसार प्रेरित इन्स्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/तात्पात्रित एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी.
सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्वार्थ समझौता विभाग शार्ट के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. विभागीकरण प्रेरित इन्स्टीट्यूट सोसाइटी के नाम है, जिसे तात्पात्र प्रेरित इन्स्टीट्यूट
ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर के नाम कहाया जाते।
2. अधिनियम 27 एवं 28 का पूर्णता पालन कुरिशित किया जाये।

आदेशानुसार

कूलसंचय

प्रति,

1. प्राप्तार्थी, प्रेरित इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर
2. विदेशीक, आंगनीक भारतीय तात्पात्री विभाग परिषद, हाईकोर्ट जाती छेत्र परिषद, इन्डियन एस्टेट,
वई दिल्ली
3. आयुष, भरतपुरा शालम, उच्च सिफा विभाग, राजसुख भाज, झोपान।
4. क्लीनिक जातिहित संचालक, भरतपुरा शालम, उच्च सिफा विभाग, ज्ञानिन्द्रा-ज्ञान संकाग, गोती महल
परिषद, ग्वालियर।
5. उप-कुलसंचय (परिषद/मोपरी) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. आमताक, योगी वर्ष क्रमांक ०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुचारा एवं आवश्यक
कार्यकारी देतु।

उठावक कुलसंचय (सम्बन्धिता)